

मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लि., भोपाल

C I N: U02001 M P 1975 SGC 001341

Please visit our Website: www.mpsfdc.com

Phone -: RGM JABALPUR - 0761- 4017345, RGM BHOPAL- 0755 - 2674298, RGM SEONI - 0755 - 2773970


विज्ञापन क्र. 2016/33 अनुमानित वनोपज मात्रा नीलाम – नवम्बर – 2016

(नीलाम प्रातः 9 बजे से सूर्यास्त तक, आवश्यकतानुसार अगले दिन भी)

परियोजना मण्डल दूरभाष क्रमांक	डिपो	दिनांक	वनोपज का प्रकार	सागौन		अन्य		जलाऊ चट्टे नग	व्यापारिक बांस नग	औद्योगिक बांस नो.टन
				लट्ठा घ.मी.	बल्ली/ डेंगरी नग	लट्ठा घ.मी.	बल्ली/ डेंगरी नग			
विदिशा-रायसेन, भोपाल 0755-2481315	ढकना चपना (सांची)	7	नया	0	0	0	0	0	0	0
			पुराना	266	54452	107	666	2270	0	0
बरघाट-सिवनी 07692-220240	बंजारी (धूमा)	8	नया	0	0	0	0	0	0	0
			पुराना	635	60237	276	942	916	0	0
खंडवा-खंडवा 0733-2225025	नर्मदानगर	9	नया	0	0	0	0	0	0	0
			पुराना	495	89868	130	0	7125	0	0
लामटा-बालाघाट 07632-240772	पाद्रीगंज	11	नया	0	0	0	0	0	0	0
			पुराना	149	17109	1827	18167	5757	5700	0
उमरिया-उमरिया 07653-222218	उमरिया	16	नया	0	0	0	0	0	0	0
			पुराना	548	10525	1525	14727	8294	0	0
मोहगांव-मण्डला 07642-251287	पांडीवारा	18	नया	0	0	0	0	0	0	0
			पुराना	308	39677	657	3983	1140	0	0
रामपुर-मतौड़ी, बैतूल 07141-238417	भौरा	23	नया	1	450	1	17	1	0	0
			पुराना	109	5970	32	292	42	0	0
कुण्डम-जबलपुर 0761-2420362	गोसलपुर	24	नया	0	0	0	0	0	0	0
			पुराना	1201	21353	336	3096	1174	0	30

नोट:- 1. शर्त/अन्य विवरण संबंधित मंडल कार्यालय से कार्यालयीन समय में या उक्त वेबसाईट से प्राप्त किया जा सकता है। नीलाम के प्रथम दिन प्रातः 9.00 बजे से भोजन अवकाश तक इमारती काष्ठ, भोजन के बाद अपराह्न 14.00 बजे से जलाऊ नीलाम इसके बाद शेष इमारती काष्ठ का नीलाम किया जायेगा परंतु नीलामकर्ता को परिस्थितियों देखते हुए समय में संशोधन करने का सर्वाधिकार सुरक्षित है। खंडवा के नर्मदा नगर डिपो के प्रस्तावित नीलाम में जलाऊ चट्टे अस्थाई डिपो लोहार्दा एवं बड़िया में रखे हुये है। लामटा के पाद्रीगंज डिपो के प्रस्तावित नीलाम में जलाऊ चट्टे पाद्रीगंज डिपो एवं अस्थाई डिपो बारिया में रखे हुये है। नीलाम प्रातः 9 बजे से सूर्यास्त तक, आवश्यकता पड़ने पर एवं नीलाम पूर्ण न होने की स्थिति में नीलाम दूसरे दिन भी जारी रखा जा सकेगा।

नोट:- 2. क्रेताओं को सुझाव दिया जाता है कि अधिक से अधिक राशि बैंक ड्राफ्ट/ पेऑर्डर से जमा की जावे। यह क्रेताओं के स्वयं के हित में है।


प्रबंध संचालक